लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1502
28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक व्यापार संबंधी घटनाक्रम

1502. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात संबंधी तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शुल्क संबंधी उपाय और भू-राजनीतिक व्यवधान सहित हाल के वैश्विक व्यापार संबंधी घटनाक्रमों के भारत के वस्त्र निर्यात पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी चुनौतियों का सामना करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं उपकरों की छूट योजना (आरओएससीटीएल) तथा बाजार विविधीकरण संबंधी प्रयासों सहित सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता और वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा वस्त्र निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े निर्यातकों को सहयोग प्रदान करने के लिए अपनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का भारत का निर्यात वर्ष 2025-26 में 3,25,339 करोड़ रुपये रहा है, जो वर्ष 2024-25 में 3,19,573.2 करोड़ रुपये से 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें 100 से अधिक देशों में निर्यात वृद्धि दर्ज की गई है।

सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और निर्यात तैयारी को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और विभिन्न पहलें की हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क योजना, वस्त्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना,

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना और निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत बाजार पहुंच सहायता और ब्याज छूट सहित विभिन्न घटकों की शुरुआत शामिल है। इसके अलावा, वस्त्र और अपैरल निर्यात की सहायता करने और उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हाल ही में कई उपाय किए गए हैं। इनमें दिनांक 30 सितंबर 2026 तक निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट का विस्तार; दिनांक 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 5201 के तहत आने वाले कपास के आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट; प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड और मोनो-एथिलीन ग्लाइकोल सहित मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) मूल्य श्रृंखला में प्रमुख इनपुट पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट; एमएमएफ मूल्य श्रृंखला में इन्वर्टेड शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए जीएसटी दरों का युक्तिकरण; और पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और खाड़ी और उसके नजदीक क्षेत्रों में समुद्री लॉजिस्टिक पर इसके निरंतर प्रभाव से उत्पन्न व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों की सहायता करने के लिए निर्यात सुविधा के लिए रेजीलेंस और लॉजिस्टिक इंटरवेंशन (रिलीफ़) पहल की शुरुआत शामिल है।

राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) योजना, मार्च 2019 से चालू है, जो इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात पर एम्बेडेड राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट प्रदान करती है। इन क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए नीतिगत पूर्वानुमान और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए योजना को छह महीने की और अवधि के लिए 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने 40 प्राथमिकता वाले देशों को कवर करते हुए एक केंद्रित निर्यात-संवर्धन और बाजार-विविधीकरण रणनीति भी अपनाई है। भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) सहित सोलह मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पहले से ही लागू हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ता सफलतापूर्वक पूरी हुई है, जबकि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक एफटीए पर

हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को अपने निर्यात को बढ़ाने और बाजार विविधीकरण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात तैयारी को और बढ़ाने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने छह वस्त्र निर्यात सुविधा केंद्र (टीईएफसी) स्थापित किए हैं, भारत के वस्त्रों, हस्तशिल्प, संस्कृति और डिजाइन इको सिस्टम को डिजाइन/फैशन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से भारत इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। वस्त्र मंत्रालय ने जून 2026 में सफलतापूर्वक वस्त्र शिखर का आयोजन किया, जिसमें वस्त्र क्षेत्र के विकास और जिलों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया। वस्त्र और हस्तशिल्प के उत्पादों का निर्यात वर्ष 2025-26 में 500 से अधिक जिलों से किया गया था। बेहतर योजना और कार्यान्वयन सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए 100 अग्रणी और 100 महत्वाकांक्षी वस्त्र जिलों के साथ जिला केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। भारत टेक्स का तीसरा संस्करण, एक वैश्विक मेगा टेक्सटाइल्स कार्यक्रम 14-17 जुलाई, 2026 तक आयोजित किया गया था, ताकि भारत की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को प्रदर्शित किया जा सके, वैश्विक व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके और भारत को वस्त्रों और परिधानों के लिए एक अग्रणी वैश्विक सोर्सिंग और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।

सामूहिक रूप से, इन उपायों ने निर्यात बाजारों में विविधता लाने, आपूर्ति-श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करने, ई-कॉमर्स के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार करने और भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता की है।
